न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 21 / 2022

हरपाल पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी वार्ड नं. 07 पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज.।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, पीरकामड़िया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीरकामड़िया, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत पीरकामड़िया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पीरकामड़िया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीयान

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम सपठित धारा—115 व्य0प्र0सं0

उपस्थितः— 1. श्री छगनलाल सिडाना अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री भवानी सिंह निर्वाण अप्रार्थी सं0 01 ता 03।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

—:निर्णयः—

दिनांकः—24.09.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता का आवासीय भवन ग्राम पंचायत पीरकामड़िया के वार्ड नं0 7 में स्थित है। इस भूखण्ड के पूर्व में गली आम, पश्चिम में जगदीश पुत्र श्री गणेशाराम का आवासीय मकान, उत्तर में पटवार घर व दक्षिण में जगदीश पुत्र श्री गणेशाराम का भवन है। निगरानीकर्ता पिछले 45—50 वर्षों से इसी भवन में ग्राम पीरकामड़िया में निवास करता चला आ रहा है। ग्राम पीरकामड़िया बीकानेर रियासतकाल से पूर्व पंजाब प्रान्त का एक गांव था तथा बीकानेर रियासत के दौरान 45 गांवों का परस्पर आदान—प्रदान होने पर यह गांव बीकानेर रियासत में शामिल हुआ। इस गांव के कृषि भूमि व आबादी भूमि से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान राजस्थान के कृषि कानून व पंचायत कानून से शासित नही होते थे। इस कारण इस गांव की आबादी भूमि का कोई अभिलेख अर्थात खसरा आबादी रजिस्टर व नक्शा आबादी रजिस्टर संधारित नहीं हुए। गांव पीरकामड़िया पैतालिसा क्षेत्र का एक गांव है एवं यह गांव पुराने कब्जे के आधार पर बसा हुआ है। निगरानीकर्ता के आवासीय मकान के सामने 9 फुट खाली जगह छोड़कर सार्वजनिक नाली है व विद्युत पोल सार्वजनिक नाली से लगभग 8 फुट पीछे अब अप्रार्थीगण द्वारा लगवाया गया है जबकि निगरानीकर्ता का आवासीय भवन का निर्माण विद्युत पोल से 2 फुट जगह छोड़कर किया हुआ है एवं इसके पश्चात् सड़क आम है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को पूर्ण स्थिति का ज्ञान है। ग्राम पीरकामड़िया पैतालिसा क्षेत्र का एक गांव होने के कारण आबादी क्षेत्र पूर्व जागीरदारों व पट्टीदारों की निजी भूमि का हिस्सा था। कालांतर में जागीरदारी व बिश्वेदारी का उन्मुलन होने पर आबादी क्षेत्र पूर्ववत् बने रहे व पूर्व में बसे ग्राम के आबादी क्षेत्र को चिन्हित कर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ व समस्त आबादी क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। अर्सा कदीम से चले आ रहे आबादी क्षेत्र में ग्रामवासीयों ने स्वतः ही आवागमन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु मार्गों को चिन्हित कर उन्हें छोड़ा गया ताकि प्रत्येक आवास को सार्वजनिक मार्ग की सुविधा प्राप्त हो

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सके, यह व्यवस्था अर्सा कदीम से निरंतर चली आ रही है व समस्त ग्रामवासीयों एवं पंचायत ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दी हुई है व आवागमन हेतु छोड़े गये रास्तों को अपनी सहमति व आचरण से स्वीकार किया है। ग्राम वासीयों ने उक्त वर्णित सार्वजनिक मामलों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने आवासगृहों को निर्मित किया है। इसलिए इन ग्रामों की गलीयों एवं निवास स्थान के कोई नक्शे संधारित नहीं किये गये। वर्तमान सरपंच व उसके परिवार की निगरानीकर्ता के साथ चुनावी रंजिश है। वर्तमान सरपंच श्रीमती कलावती ग्राम पंचायत पीकरमाड़िया की सरपंच है। इसी चुनावी रंजिश को लेकर निगरानीकर्ता के उक्त वर्णित रिहायशी मकानों को कथित रूप से गली आम में होने का मिथ्या कथन कर गली आम पर अतिक्रमण होना ब्यान कर निगरानीकर्ता के रिहायशी मकान को ध्वस्त करने की धमकी दी गई तथा बिना किसी अभिलेख के निगरानीकर्ता के रिहायशी मकान को गली आम का भू–भाग बताकर अतिक्रमण नोटिस दिनांक 31.10.2022 को प्रेषित कर आबादी भूमि पर अतिक्रमण होना बताया। निगरानीकर्ता ने इस नोटिस का सविस्तार जवाब प्रस्तुत किया, इस बाबत् श्री ओम प्रकाश, उपसरपंच, ग्राम पंचायत पीरकामडिया ने मौका देखकर जॉच प्रतिवेदन तैयार कर यह बताया कि निगरानीकर्ता द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पैटीशन नम्बर 5841/2011 निर्णय दिनाक 25.07.2013 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया हुआ है कि सडक पर अतिक्रमण करने का आरोप, जब तक नगरपालिका का नक्शा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश न हो, तो यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता कि याची वादी ने सड़क पर अतिक्रमण किया और सार्वजनिक मार्ग पर प्रश्नगत निर्माण किया। अप्रार्थीगण ने अपने नोटिस में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पीरकामडिया की आबादी भूमि के कितने फुट पर कितना लम्बा व कितना चौड़ा अतिक्रमण किया है। अप्रार्थीगण के पास ग्राम पीरकामड़िया की गलीयों व रास्तों की चौड़ाई से सम्बन्धित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे यह अधिकार नही है कि विधिसम्मत् रिकार्ड के अभाव में रास्तों की चौड़ाई निर्धारित करे तथा किसी को बिना विधिक प्रक्रिया के अतिक्रमी घोषित करे। अप्रार्थीगण ने जानबझकर बदयांतिपूर्वक निगरानीकर्ता को नाजायज तंग व परेशान करने के आश्य से पुनः दिनांक 03.11.2022 को नोटिस प्रेपित किया एवं अप्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि में दिवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है,. जिस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी नही बताया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा कितना लम्बा–चौड़ा अतिक्रमण किया है, जबकि निगरानीकर्ता का समस्त निर्माण लाईनबंदी में किया हुआ है। दिनांक 07.11.2022 को ग्राम विकास अधिकारी निगरानीकर्ता के आवासीय भवन के आगे लगे विद्युत पोल पर तृतीय नोटिस चस्पा कर चला गया जबकि उसका यह उत्तरदायित्व था कि वह विधि के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की सम्मयक तामील करवाता। ऐसी स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। सरपंच, ग्राम पंचायत पीरकामड़िया द्वारा मिथ्या आधार लेकर निगरानीकर्ता के रिहायशी मकान को ध्वस्त करने के लिए वाजिदद हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत पीरकामड़िया चुनावी रंजिश को लेकर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के एवं विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निगरानीकर्ता को जानबूझ कर नाजायज क्षति पहुंचाना चाहते हैं। निगरानीकर्ता का प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा पिछले 45–50 वर्षों से चला आ रहा है। निगरानीकर्ता ने लाखों रूपया खर्च कर इस भूखण्ड में निर्माण कर पक्के कमरे, बरामदा, रसोई, बाथरूम, शौचालय, स्टोर आदि का निर्माण किया हुआ है। विधि के प्रावधानों के अनुसार निगरानीकर्ता का प्रतिकूल धारण भी परिपक्व हो चुका है। निगरानीकर्ता का समस्त निर्माण पटवार भवन की चौकी एवं हरीराम पुत्र श्री जोतराम की चौकी से पीछे बना हुआ है जबकि पटवार भवन की चौकी एवं श्री हरीराम के मकान के आगे बनाई गई चौकी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

गली आम में है। यहाँ यह भी निवेदन है कि निगरानीकर्ता के आवासीय मकान के सामने श्री महावीर पुत्र श्री भीमसेन का आवासीय भवन है। श्री महावीर पुत्र श्री भीमसेन ने इसी गली आम में 15 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा रैम्प बनाया हुआ है लेकिन आपने इस रैम्प के बावत् आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण निगरानीकर्ता को चुनावी रंजिश के कारण नोटिस प्रेषित कर रहे हैं। निगरानीकर्ता का समस्त निर्माण विद्युत पोल से 2 फुट पीछे, सार्वजनिक नाली से 10 फुट पीछे है। निगरानीकर्ता द्वारा बनाई गयी दिवार से गली आम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है बल्कि निगरानीकर्ता ने समस्त निर्माण अपने भूखण्ड पर किया हुआ है जिससे किसी वाहन/व्यक्ति को आने–जाने में कोई परेशानी नही हो रही है। निगरानीकर्ता ने अपने भूखण्ड में पक्का निर्माण किया हुआ है। अगर इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया तो निगरानीकर्ता को आर्थिक एवं मानसिक क्षति होगी। निगरानीकर्ता लघु कृषक है जिसने मेहनत मजदूरी कर अपने भूखण्ड में निर्माण किया हुआ है। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत पीरकामड़िया अथवा ग्राम पंचायत पीरकामडिया को यह विधिक अधिकारिता नही है कि वह निगरानीकर्ता के निर्माण को ध्वस्त कर भूखण्ड के आगे गली का निर्माण कर सके। अगर निगरानीकर्ता के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया तो निगरानीकर्ता बेघर हो जावेगा। विधि का यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार के 45–50 वर्ष के पुराने कब्जा को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत पीरकामड़िया ने निगरानीकर्ता को कब्जा के आधार पर स्वामित्व के अधिकार दिये हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरपंच निगरानीकर्ता के भूखण्ड के निर्माण को बिना किसी अधिकारिता के ध्वस्त करने पर उतारू है. जिसकी कानूनन अनुमति नही है। निगरानीकर्ता ने इस भूखण्ड में पिछले 30 वर्षों से विद्युत सम्बन्ध एवं जल सम्बन्ध प्राप्त किया हुआ है। निगरानीकर्ता के आवसीय मकान के सामने गली की चौड़ाई लगभग 30 से 35 फुट है जिसमें से 2 वाहन एक साथ आराम से गुजर सकते हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवसीय भवन पर आये एवं प्रार्थी को यह धमकी दी कि वे उसके द्वारा बनाई गयी दिवार एवं निर्माण को ध्वस्त करेंगे। अतः निगरानी का आवेदनपत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार फरमाया जावकर अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जावे कि वे निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के निर्माण को जिसका विवरण निगरानी की चरण संख्या–2 में अंकित है. को नोटिस दिनांक 31.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022 के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर ध्वस्त करने एव निगरानीकर्ता के उपयोग, उपभोग व धारण में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के निर्माण को जिसका विवरण निगरानी की चरण संख्या–2 में अंकित है, को नोटिस दिनांक 31.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022 के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर ध्वस्त करने एव निगरानीकर्ता के उपयोग, उपभोग व धारण में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि जबाव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 निम्न प्रकार से है–प्रार्थी का मकान पीरकामडिया में होना स्वीकार है जो आसा पासा दर्शाया है यह गलत दर्शाया है। प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व में पटवार घर है गलीआम नहीं है, गेट के आगे चौगान है तथा पश्चिम में जगदीश पुत्र गणेशाराम का आवास नहीं है, जगदीश पुत्र गणेशाराम का आवास दक्षिण पश्चिम में तिरछा है। उत्तर में पटवार घर नहीं बल्कि राजेश कड़वासरा का मकान है। प्रार्थी द्वारा अपने घर के आगे चोगान में जो विद्युत पोल लगाया गया है, वह प्रार्थी व जयकिशन व हरीराम के मीटर हेतु लगाया गया है

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जबकि विद्युत लाईन दूसरी तरफ से जाती है। विद्युत पोल को मात्र मीटर लगाने के लिए लगाया था जो निर्माण प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, यह सार्वजनिक जगह (चोगान) पर अतिक्रमण कर अपने आवास के आगे खाली जगह में किया गया है ताकि अब राज्य सरकार की स्वामित्व संबंधी शेष कार्यवाही की जा रही है उसमें यह उसे सम्मिलित कर सके। प्रार्थी उक्त सार्वजनिक जगह (चोगान) का स्वामित्व हासिल करने के लिए अपने घर के आगे दीवार का निर्माण कर रहा है। गांव पैंतालीसा क्षेत्र का गाव होना स्वीकार है लेकिन इसके समस्त आबादी क्षेत्र का अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया गया था। ग्राम पंचायतों को इन गांवों का रख रखाव व नाली गलिया, रास्ता का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया, इन आबादी क्षेत्र की समस्त कार्यवाहियां ग्राम पंचायत द्वारा संधारित होने लगी। इसी के तहत व कालांतर में राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व संबंधी कार्यवाही की जा रही है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अपने मकान के आगे दीवार निकालकर सार्वजनिक जगह (चोगान) पर अतिक्रमण कर अपना स्वामित्व हासिल करना चाहता है। पूर्व में यह जगह पूर्ण रूप से खाली थी जो खुला चोगान व आम गली के रूप में प्रयोग में आ रही थी। इस गली से स्कूल की बसों का आवागमन, रामबाग घर, कब्रिस्तान आदि का आम रास्ता व गली व खुला चोगान है। अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम सभा में पूर्व में प्रस्ताव पारित किये जा चुके है जिस जिस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको चिन्हित कर नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का रिहायशी मकान अन्दर की तरफ बना हुआ है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने आवास के आगे खुले चोगान व आम गली में अपना स्वामित्व हासिल करने के लिए दीवार का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी के रिहायशी मकान को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रार्थी द्वारा अपने आवास के आगे की जगह खुले चोगान व गली में अवैध रूप से स्वामित्व हासिल करने के लिए अवैध दीवार बनाई जा रही है, उसको अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत उप सरपंच लम्बे समय से बीमार चल रहे है उनके द्वारा कोई निरीक्षण व प्रतिवेदन तैयार नहीं किया है बल्कि उप सरपंच व पंचायत समिति सदस्य को गुमराह कर व झूठ बोलकर उनके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उस पर अपनी मर्जी से रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी है। इस संबंध में उप सरपंच व पंचायत समिति सदस्य द्वारा शपथ पत्र पेश किया जा रहा है जो जबाव के साथ संलग्न है तथा उक्त भूखण्ड स्व० श्री विहारीलाल द्वारा प्रार्थी को बेचान किया गया था, उनके द्वारा उक्त खुले चोगान की जगह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं था व ना ही उक्त जगह को उनके द्वारा बेचान किया गया था. इस संबंध में उनके पुत्र द्वारा भी शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का आधार लिया है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप आम गली सड़क पर नक्शा ना होने की स्थिति में कब्जा कर लो। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस में अंकित किया गया है आप द्वारा अपने आवास के आगे जो नई दीवार खुले चोगान व आम गली में निकाली जा रही है उसके संबंध में कोई दस्तावेज हो तो पेश करे, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आवास के आगे खुले चोगान व आम गली में अतिक्रमण किया जा रहा है उसके संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर अतिकमियों को चिन्हित किया है। उन सबको नोटिस देकर विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अपना स्वामित्व हासिल करने के लिए अपने आवास के आगे आम गली व खुले चोगान में दीवार निकालकर अतिक्रमण कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में विधि के प्रावधानों के तहत ही समस्त कार्यवाही की जा रही है। नोटिस नहीं लेने की दशा में उनके मकान के आगे नोटिस चस्पा किया गया। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना नहीं की गई है। अप्रार्थीगण

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

द्वारा प्रार्थी के आवास को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं किया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा मात्र प्रार्थी द्वारा अपने आवास के बाहर खुले चोगान व आमगली में पक्की दीवार निकालकर अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाये जाने की कार्यवाही नोटिस देकर की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवास में पक्के कमरे, रसोई, बाथरूम, शौचालय स्टोर आदि को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। यह समस्त प्रार्थी के आवास के अन्दर बने हुये है। प्रार्थी के आवास के सबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि प्रार्थी द्वारा अपने आवास के बाहर खुले चोगान व आमगली में जो दीवार निकालकर अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने की कार्यवाही नोटिस देकर की जा रही है। मात्र आम रास्ता गली व खुले चोगान में अतिक्रमण करने की हैसियत से प्रतिकूल धारण परिपक्व नहीं माना जाता। प्रार्थी द्वारा जिस अतिकमण के संबध में विवरण दिया है उनको ग्राम पंचायत प्रस्ताव में चिन्हित कर उनको हटाने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रार्थी के भूखण्ड/आवास को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है, ना ही प्रार्थी के आवास को ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि प्रार्थी द्वारा अपने आवास के बाहर आम गली व खुले चोगान में पक्की दीवार निकालकर अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने की कार्यवाही नोटिस देकर नियमानुसार की जा रही है। प्रार्थी के आवास को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। मात्र प्रार्थी द्वारा अपने आवास के बाहर अतिक्रमण के संबंध में स्थामित्व हासिल करने के लिए पक्की दीवार निकाली जा रही है, उसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपने आवास के बाहर आम गली व खुले चोगान में पक्की दीवार निकालकर अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने की कार्यवाही नोटिस देकर नियमानुसार की जा रही है। जिसके संबंध में वह माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत पीरकामड़िया पंचायत समिति टिब्बी के क्रमांक 1 दिनांक 31.10.22 ,क्रमांक 1 दिनांक 03.11.22 एवं क्रमांक 132 दिनांक 07.11.22 से निगरानीकर्ता प्रभावित है, निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अप्रार्थी ने विवादित स्थान को गलीआम होना बताया इस सम्बध में अप्रार्थी की और से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि उक्त विवादित स्थल गलीआम है।
2. ग्राम पंचायत पीरकामड़िया के पास आबादी भूमि की गलियों व रास्तो की चौडाई से सम्बधिंत कोई नक्शा, रिकार्ड इस न्यायालय में पेश नही किया है एवं नक्शा व रजिस्टर संधारित नही होने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में उसे अधिकार नहीं है कि विधि सम्मत रिकार्ड के अभाव में रास्तो की चौडाई निर्धारित करे तथा बिना विधिक प्रक्रिया के अप्रार्थी को अतिकमी घोषित करें।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश वाके ग्राम पंचायत पीरकामड़िया पंचायत समिति टिब्बी द्वारा जारी आदेश कमांक 1 दिनांक 31.10.22, क्रमांक 1 दिनांक 03.11.22 एवं क्रमांक 132 दिनांक 07.11.22 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़